



दिनांक 10.09.2020

प्रेस विज्ञप्ति 10/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय शाहजहाँपुर पर दलालों एवं संलिप्त कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही

विगत कई दिनों से आर0टी0ओ0 कार्यालय शाहजहाँपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दलालों का बोलबाला एवं कार्यों में आम नागरिकों को हो रही असुविधा की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही थी।

उपरोक्त सूचना के क्रम में छानबीन कराई गई एवं आज दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर श्री अरविन्द कुमार एवं बरेली एवं लखनऊ की टीम एवं शाहजहाँपुर पुलिस के पुलिस अधीक्षक नगर, श्री संजय कुमार एवं श्री राजेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट एवं अन्य कर्मियों के साथ शाहजहाँपुर आर0टी0ओ0 कार्यालय में दबिश डाली गयी तो वहाँ चल रहे दलालों का खेल उजागर हुआ।

उपरोक्त दबिश के दौरान 1—श्री बृजेश कुमार पुत्र श्री पन्ना लाल, सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक, 2—श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री स्वर्गीय श्री तेजपाल शर्मा, प्रधान सहायक पंजीकरण एल0एम0वी0 एवं दलाल 1—श्री जोगेन्द्र पाल पुत्र उजागर सिंह, 31 मॉडल टाऊन बरेली 2—श्री अमन शुक्ला पुत्र श्री रमेश शुक्ला, कनौजिया हास्पिटल कोतवाली, 3—श्री आलोक कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल, पैताखुर्द सिधौली, 4—श्री शेए पुत्र निशार, ईदगाह इस्लाम नगर, कटरा 5—श्री दानिश उर्फ फिरोज पुत्र श्री सरफराज, बाड़डी थाना सदर 6—श्री वसीम पुत्र श्री भज्जू मिस्ट्री, बारादी थाना सदर 7—श्री प्रशांत पुत्र श्री गोविंद, आवास विकास थाना सदर, 8—श्री देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री अखिलेश, मो0 कानून जलालाबाद 9—श्री रामजी गुप्ता पुत्र श्री विद्यानन्द, मो0 हुडाल खेल, थाना कोतवाली 10—श्री अनुज सक्सेना पुत्र श्री ए0सी0 सक्सेना, जमालनगर, थाना सदर, 11—श्री शिवम पुत्र श्री विनोद, जमालनगर, सदर 12—श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह, कटरा बाजार, 13—श्री रौनक अली पुत्र श्री इरशाद अली, सिफई, थाना कोतवाली, 14—श्री शीबू पुत्र श्री राधेश्याम सदापुर थाना पुवायां 15—श्री फैजुलरहमन पुत्र शैफीकुर्रहमान 16—श्री बिलाल पुत्र मुमूद खां घण्टाघर सदर 17—श्री शिवम पुत्र राम कुमार लालातेली बजरिया थाना सदर 18—श्री विनोद मिश्रा पुत्र राम कृष्ण मिश्रा आनन्दपुरम कालोनी को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य व्यक्तियों से पूछताछ जारी है।

इनके कब्जे से 04 लाख रू0 नगद, 14 मोबाइल फोन, 07 लैपटाप, 08 ड्राइविंग लाइसेंस, 46 आर0सी0 एवं अन्य संबंधित कागजात को जब्त किया गया। उपरोक्त प्रकरण धारा 419/420 भादवि एवं 07 व 07(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 एवं अन्य सुंसगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

जनपद महोबा

श्री नितिश पाण्डेय, डायरेक्टर पी.पी. पाण्डेय, इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट लिमिटेड के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो के संबंध में निलम्बित तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन निरीक्षक चरखारी श्री राकेश कुमार सरोज व तत्कालीन एस.ओ. खरेला उपनिरीक्षक श्री राजू सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0 505/2020 धारा 7/13 भ्र0नि0अधि0 व 384 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

जनपद महोबा में निम्नलिखित पुलिस कर्मी निलम्बित किये गये

- 1-तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक चरखारी राकेश कुमार सरोज।
- 2-तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला उपनिरीक्षक राजू सिंह।
- 3-थानाध्यक्ष कबरई उपनिरीक्षक देवेन्द्र शुक्ल।
- 4-थाना कोतवाली आरक्षी राजकुमार कश्यप।

जनपद प्रयागराज

जनपद प्रयागराज में कानून व्यवस्था के संबंध में बरती गयी लापरवाही के कम
में निम्नलिखित पुलिस कर्मी निलम्बित किये गये

- 1—प्रभारी निरीक्षक करेली अंजनी कुमार श्रीवास्तव ।
- 2—प्रभारी निरीक्षक अतरसुईया संदीप मिश्रा ।
- 3—थाना करेली निरीक्षक नागेन्द्र कुमार नागर ।
- 4—उपनिरीक्षक गोपनीय गौरव तिवारी ।
- 5—थाना करेली उपनिरीक्षक प्रेम कुमार ।
- 6—थाना कोरावं उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार यादव ।
- 7—थाना नवाबगंज उपनिरीक्षक दुर्गेश कुमार राय ।
- 8—थाना नवाबगंज उपनिरीक्षक इबरार अंसारी ।
- 9—मुख्य आरक्षी राम प्रताप सिंह ।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 09/10.09.2020 की रात्रि थाना खुर्जा देहात व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हाईवे खुर्जा मोड़ के पास से मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोका गया तो बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त विकास घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा देहात पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 188/19 धारा 395 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त जनपद बुलन्दशहर का टॉप-10 एवं शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर एवं अलीगढ़ के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-विकास निवासी सोकना राजेन्द्र कालोनी थाना हाथरस गेट, हाथरस।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित 01 खोखा कारतूस 315 बोर,

2-01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,
- लगभग 10 लाख रुपये कीमत का 19.12 कि०ग्रा० अवैध गांजा
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 09/10.09.2020 की रात्रि थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुराना जीटी रोड के पास से 02 अपराधियों 1-फजल व 2-समीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 19.12 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये) व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के मादक पदार्थ तस्कर हैं, जो जनपद बुलन्दशहर व अन्य स्थानों पर मादक पदार्थ की विक्री करते थे। अभियुक्त फजल के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस संबंध में थाना खुर्जा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-फजल निवासी मो० रूकन सराय थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।
- 2-समीर निवासी मो० नई बस्ती कस्बा व थाना औरंगाबाद, बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1-19.12 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये)।
- 2-01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहांपुर/थाना अल्हागंज

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 517 ग्राम अवैध अफीम, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 09/10.09.2020 की रात्रि थाना अल्हागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम टिंगरी के पास पुलिस कार्यवाही के दौरान 25 हजार रू० का पुरस्कार घोषित

अपराधी सुनील उर्फ टुईया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 517 ग्राम अवैध अफीम, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के 11 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना अल्हागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2019 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना अल्हागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुनील उर्फ टुईया नि0 ग्राम कुन्दरा पहाड़पुर थाना मीरजापुर शाहजहांपुर।

बरामदगी

1—517 ग्राम अवैध अफीम, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जीवित 01 खोखा कारतूस।

जनपद सुलतानपुर/थाना कोतवाली नगर

25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अपराधियों सहित 03 अपराधी गिरफ्तार

लूट के 01 लाख 52 हजार 630 रूपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद दिनांक 10.09.2020 को थाना कोतवाली नगर व काईम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस अड्डे के पास से 25—25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित अपराधी 1—निहाल अनवर उर्फ गोलू, 2—तंजीब अहमद उर्फ रानू व एक अन्य अपराधी 3—संदीप बाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 01 लाख 52 हजार 630 रूपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12—08—2020 को पयागीपुर चौराहे से प्रतापगढ़ रोड पर लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर घटना अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद रू0 उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-निहाल अनवर उर्फ गोलू नि० अग्राकोल थाना गोसाईगंज सुलतानपुर।
- 2-तंजीब अहमद उर्फ रानू नि० अग्राकोल थाना गोसाईगंज सुलतानपुर।
- 3-संदीप बाल्मीकि नि० इटकौली थाना गोसाईगंज सुलतानपुर।

बरामदगी

- 1-लूट के 01 लाख 52 हजार 630 रुपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय।

जनपद मथुरा/थाना गोवर्धन

20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 09.09.2020 की सायं थाना गोवर्धन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़ी परिकर्मा मार्ग से 20 हजार रू० का पुरस्कार घोषित अपराधी रघुनाथ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नौहझील पर पंजीकृत मु०अ०सं० 41/83 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20,000 रू० का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रघुनाथ उर्फ स्वामी नि० बाजौता थाना टप्पल अलीगढ़।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, लगभग 10 लाख रुपये कीमत का 19.12 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद

दिनांक 09/10.09.2020 की रात्रि थाना खुर्जा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौला की ओर से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1-फजल व 2-समीर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 10 लाख रुपये कीमत का 19.12 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुये।

इस संबंध में थाना खुर्जा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-फजल नि० मो० रूकनसरायं थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 2-समीर नि० मु० नईबस्ती कस्बा व थाना औरगांबाद बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1-लगभग 10 लाख रूपये कीमत का 19.12 किलोग्राम अवैध गांज।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 07 अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 03 अवैध रायफल 315 बोर, 22 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 09.09.2020 को थाना कोतवाली कन्नौज व काईम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बछज्जापुर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अपराधी 1-नौशाद, 2-आमिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 03 अवैध रायफल 315 बोर, 22 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कोतवाली कन्नौज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-नौशाद नि० बछज्जापुर थाना व जनपद कन्नौज।
- 2-आमिर नि० ग्राम इनायतपुर जनपद कन्नौज।

बरामदगी

- 1- 07 अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 03 अवैध रायफल 315 बोर, 22 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार

- 10 अवैध तमंचे बने/अद्धबने विभिन्न बोर, 14 जीवित 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 10.09.2020 को थाना आदमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तिगरिया नादिरशाह के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अपराधी लेखराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 अवैध तमंचे बने/अद्धबने

विभिन्न बोर, 14 जीवित 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लेखराज नि० बेगपुर सर्की थाना सैदनगली अमरोहा।

बरामदगी

1— 10 अवैध तमचे बने/अद्धबने विभिन्न बोर, 14 जीवित 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद जालौन/थाना कुठौंद

20 लाख रूपये कीमत की अपमिश्रित शराब/अवैध शराब बनाने का केमिकल आदि व शराब बनाने के उपकरण सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.09.2020 को थाना कुठौंद व काईम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर औरैया जालोन हाईवे के पास से 20 लाख रू० कीमत की अपमिश्रित शराब/अवैध शराब बनाने का केमिकल व शराब बनाने के उपकरण सहित 07 अभियुक्तों 1—सतीश, 2—अशोक कुमार, 3—जहीर, 4—रहीश, 5—रोहित, 6—विजय व 7—अंशु को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 20 लाख रू० कीमत की 12,200 लीटर अवैध शराब बनाने का ओपी केमिकल/अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण, 03 डीसीएम ट्रक, 01 कार आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कुठौंद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सतीश नि० ग्राम सुकरौली थाना लालगंज बस्ती।

2—अशोक कुमार नि० ग्राम सुरियाटरा थाना अनगारघाट समस्तीपुर बिहार।

3—जहीर नि० ग्राम किनाया थाना ढोलना कासगंज।

4—रहीश नि० ग्राम किनाया थाना ढोलना कासगंज।

5—रोहित नि० महेपे थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर।

6—विजय नि० नैनाततारपुर थाना महोना सोनीपत हरियाणा।

7—अंशु नि० ग्राम व थाना महरेश एटा।

बरामदगी

1— लगभग 20 लाख रू० कीमत की 12,200 लीटर अवैध शराब बनाने का ओपी केमिकल/अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण, 03 डीसीएम ट्रक, 01 कार आदि बरामद ।

जनपद अमरोहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सजा)

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, एससी/एसटी—द्वितीय द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत धारा 323/504/307 भादवि के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 23 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

जनपद सम्भल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को सजा)

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय ए०डीजे०—12 गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में 02 अभियुक्तों 1—भोलू, 2—राहुल को 04—04 वर्ष का कारावास व 05—05 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
